राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवम् मुद्रांक विभाग
"कर भवन" राज. अजमेर

क्रमांक : एफ 4 (300) (6)/स्टा./वैण्ड़र /10/1661-75 दिनांक : 10-5-10

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः– कोष कार्यालयों से स्टाम्प वैण्डरों को स्टाम्पों की सप्लाई नियमित कराने के क्रम में।

****

विभाग की जानकारी में आया है कि कई कोष कार्यालयों से स्टाम्प वैण्डरों को स्टाम्पों की सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तथा स्टाम्प वैण्डरों को स्टाम्प सप्लाई प्रतिदिन अथवा कोष कार्यालयों हेतु प्रसारित नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार सप्ताह में कम से कम तीन दिन नहीं की जाती है।

इस क्रम में कई स्थानों के स्टाम्प वैण्डर एसोसियेशनों से बराबर ज्ञापन प्राप्त हो रहे है कि उन्हें स्टाम्पस् सप्ताह में कम से कम तीन दिन अवश्य दिलवायी जावे।

विभाग के पत्र क्रमांक एफ4(300)(12)स्टा/वैण्डर/1360 – 1392 दिनांक 4.8.09 एवम् एफ4 (582) (A) मुद्रांक/ सप्लाई/ 1562–93 दिनांक 28.8.09 से मध्यान्ह पूर्व की अवधि में चालान जमा होने पर जमा चालान का बैंक से सत्यापन करा उसी दिन स्टाम्प जारी करने तथा यदि किसी स्थानीय परिस्थितिवश उसी दिन स्टाम्प जारी नहीं हो सके तो चालान जमा होने के दूसरे दिन तो हर हालत में स्टाम्प जारी करने हेतु कोषाधिकारियों को निर्देश देने के उपरान्त भी उक्त समय सीमा में कई कोषालयों से स्टाम्प जारी नहीं किये जा रहे हैं।

कोष कार्यालय के नागरिक अधिकार पत्र में भी स्टाम्पों की सप्लाई सप्ताह में तीन दिन निर्धारित की गई है। इसके अनुसार भी हर दूसरे दिन स्टाम्प सप्लाई होना अनिवार्य है।

कृपया उक्त क्रम में कोषधिकारियों को पुनः निर्देशित करें कि स्टाम्प वैण्डरों को स्टाम्पों की सप्लाई सुचारू रूप से प्रतिदिन करें और इसमें कोई प्रशासनिक बाधा हो तो सप्ताह में निर्धारित तीन दिवसों को आवश्यक रूप से देवें एवं इसकी पालना भी सुनिश्चित करावें।

महानिरीक्षक, 10/5
पंजीयन एवं मुद्राकं विभाग,
राजस्थान– अजमेर

क्रमांक : एफ 4 (300)(6)/स्टा/ वैण्ड़र/10/1896-1991 दिनांक : 10/5/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव वित विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौघोगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की बेवसाईट **www. rajstamp.gov. in** पर अपलोड़ हेतु।
4. [illegible]।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए 5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर , समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) राजस्थान ,
8. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) वृत–जयपुर/जोधुपर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

10/5/10

अति. महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राज. अजमेर।